नम्बर रसीद संख्या पट्टा (3) मूल नम्बर सं.

(यह प्रति लेख-पत्र 98 पेश करने वाले आवेदन पत्र पेश करने वाले अपने पास रहने देंगे) 161

(प्राप्त हुई फीस के लिए रसीद)

1. पेश करने वाले या आवेदन-पत्र देने वाले का नाम

2. लेख्य-पत्र की किस्म हार्टीकल्चर [illegible]

3. विवरण फीस जो प्राप्त हुई

4. प्रतिफल की रकम रु. [illegible] रुपये पैसे

क. फीस रजिस्ट्री :

(1) साधारण फीस रजिस्ट्री 38100=

(2) लेख्य-पत्र की पुस्तक में प्रतिलिपि करने की फीस 300=

(3) धारा 64 से 67 के अनुसार ज्ञापन जारी करने की फीस

ख. धारा 57 के अनुसार पाथियों के प्रविष्टि लेखों की प्रतिलिपि देने की फीस 19050=

ग. विविध फीस : 190500=

(1) साधारण अथवा विशेष अधिकार-पत्र प्रमाणीकरण फीस

(2) धारा 62 के अनुसार अनुवाद प्रस्तुत करने की फीस

(3) धारा 25 से 34 के अनुसार देर से लेख्य-पत्र प्रस्तुत होने अथवा सम्पादनकर्ता इत्यादि के उपस्थित होने के कारण चुकाई हुई फीस

(4) कमीशन तथा घर पर जाने की फीस तथा भत्ता

(5) रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्री करने पर अतिरिक्त फीस

(6) संरक्षण फीस

(7) मोहरबन्द लिफाफे (जिसमें वसीयत पत्र रखा हो) अमानत रखने, वापिस लेने अथवा खोलने की फीस

(8) पुस्तक के निरीक्षण अथवा तलाशी की फीस

(9) अन्य विविध प्रकार की आय (जिसमें रद्दी पदार्थों की बिक्री इत्यादि की आय सम्मिलित है)

दो लाख / सैंतालिस हजार नौ सौ पचास मात्र

योग फीस 247950=

फीस के प्राप्त होने की तारीख 18/11/13

लेख्य-पत्र या प्रतिलिपि तलाश सर्टिफिकेट पाने के हस्ताक्षर और लौटाये जाने या पाने की तारीख 18/11/13

उप पंजीयक

रजिस्ट्री करने वाला अधिकारी

For Trehan Home Developers (P) Ltd.

Authorised Signatory

कार्यालय नगर विकास न्यास, अलवर

क्रमांक ......23114/2011 दिनांक 11/12-11-2011

प्रेषित :-

श्री/श्रीमती हरि सिंह ....

पुत्र/पत्नी श्री किशनलाल ....

ग्राम केसरपुर तह० अलवर जिला अलवर

प्रशासन शहर संग अभियान-2012

प्रमाण-पत्र

1.	भू-स्वामी का नाम	श्री/श्रीमती हरि सिंह
2.	पिता/पति का नाम	श्री किशनलाल
3.	भूखण्ड संख्या	2 [EWS & LIG] G.H.
4.	योजना का नाम	खसरा नं. 462 से [illegible]
5.	क्षेत्रफल	
6.	आवंटन की तिथि	5427.43 व.मी.
7.	कब्जा पत्र जारी होने की तिथि	
8.	वार्षिक शहरी जमाबन्दी की राशि	51930=00
9.	पूर्व की बकाया लीज राशि	
10.	एक मुश्त शहरी जमाबन्दी की राशि (कालम 8 की 7 गुना राशि)	4,15,437=00
11.	कुल बकाया समस्त जमा राशि	

उपरोक्त राशि चार लाख पन्द्रह हजार चार सौ सैंतीस .... रूपये

रसीद संख्या ...1880139........ दिनांक ...8.11.13...... द्वारा जमा करा दिये गये हैं।

अतः आवंटन की शर्त संख्या ...—...... में अंकित अवधि के लिए अर्थात दिनांक ....

से 99 वर्ष तक के लिए शहरी जमाबन्दी के भुगतान से उक्त भूखण्ड को मुक्त किया जाता है।

निदेशक
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परियोजना
एवं सचिव नगर विकास न्यास
अलवर

क्रमांक .... दिनांक ....

प्रतिलिपि :-

व० लेखाधिकारी नगर विकास न्यास को प्रेषित कर लेख है कि उक्त भूखण्ड की तदनुसार प्रविष्टि अंकित कराने की व्यवस्था करावें।

For Trehan Home Developers (P) Ltd.

Authorised Signatory

निदेशक
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परियोजना
एवं सचिव नगर विकास न्यास
अलवर

न. वि. अ.

नगर विकास न्यास, अलवर

आवासीय भूखण्ड हेतु लीज डीड (पट्टा)

1. यह लीज-डीड (पट्टा) आज दिनांक 11 माह 11 वर्ष 2012 को प्रथम पक्ष नगर विकास न्यास, अलवर जो एतद् पश्चात् पट्टादाता कहलायेंगे एवं द्वितीय पक्ष श्री/ श्रीमती हरिसिंह पुत्र/ पत्नी श्री किशनलाल पता ग्राम - केसरपुर तहसील अलवर, जिला अलवर जो एतद् पश्चात् पट्टाग्रहीता कहलायेंगे के बीच निष्पादित हुआ।

2. पट्टा दाता ने पट्टा ग्रहीता का एक आवासीय भूखण्ड जिसका विवरण संलग्न अनूसूची में अंकित किया गया है, निम्न प्रकार पट्टे (लीज) पर दिया है:

3. पट्टे के प्रतिफल स्वरूप,राशि रुपये 519296 = 00 अक्षरे रुपये पाँच लाख 3-नीस हजार दो सौ छियानवे रुपये मात्र

मात्र अधिशुल्क के रुप में पट्टाग्रहीता ने पट्टादाता को अदा किये है (जिसकी प्राप्ति पट्टा स्वीकार करता है।) तथा नगरीय भूमि पर (अरबन असेसमेंट) राशि रुपये 51930 = 00 वार्षिक देय है। उक्त प्रतिफल पर भूखण्ड संख्या 2(EWS & LIG) G.H. क्षेत्रफल 5427·43 ~~वर्ग गज~~/वर्ग मीटर जो न्यास की खसरा नं.453 से 461,469,471 से 427,481 से 483,485 से 492,494 से 511,513 से 515,518 से 523,525 से 528 ग्राम सम्पादी एवं ख. नं.485 से 488,478 से 479,497,495/735 ग्राम तहसील व जि. अलवर योजना में स्थित है, 99 वर्षीय पट्टे पर दिया है। 99 वर्ष की अवधि 11 माह 11 वर्ष 2012 में प्रारम्भ होगी। वार्षिक देय नगरीय भूमि कर अथवा ऐसा अन्य नगरीय भूमि कर जो इस अनुबन्ध की शर्तों के अधीन निर्धारित किया जावे, नगर विकास न्यास के कार्यालय में अथवा ऐसे स्थान पर जो इस तात्पर्य हेतु पट्टादाता द्वारा विज्ञप्ति में प्रकाशित किया जावे प्रतिवर्ष 31 मार्च तक एक मुश्त देना होगा।

4. इस अनुबन्ध में अन्तर्विष्ट अपवादों, आरक्षणों, प्रसंविदाओं तथा एतद् पश्चात वर्णित प्रतिबन्धों के सदैव अधीन रहते हुए।

   1. पट्टादाता उक्त भूखण्ड या पर उसके नीचे स्थित समस्त खानों, खनिजों, कोयला, स्वर्ण, भूमिगत तेल आदि व अन्य खनिजों का अधिकार भूखण्ड के धरातल या उस बने आवासीय भवन के लिए अवलम्ब की व्यवस्था के या रहने दिये बिना हर समय ऐसे समस्त कार्य जो अन्वेषण करने, खनन कार्य करने, खनिजों को हटाने और उसके उपयोग के प्रयोजनार्थ आवश्यक एवं इष्ट कार्य करने के लिए पूर्ण अधिकार व शक्ति आरक्षित रखता है। परन्तु सदैव यह शर्त होगी कि एतद् द्वारा आरक्षित अधिकारों या उसमें से किसी भी अधिकार का प्रयोग करने में प्रत्यक्षतः हुई किसी क्षति के लिए पट्टा दाता, पट्टाग्रहीता को उचित क्षतिपूर्ति का भुगतान करेगा।

निदेशक
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परियोजना
एवं सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर

पट्टाग्रहीता के हस्ताक्षर
अंगूठा हरिसिंह

बहादुरपुर (अलवर)

For Trehan Home Developers (P) Ltd.
Authorised Signatory

II पट्टाग्रहीता स्वयं अपने लिए, अपने उत्तराधिकारों, निष्पादकों प्रबन्धकों और अभिहस्ताकिर्तियों के लिए पट्टादाता के संग निम्न रुपेण प्रसंविदा करता है, अर्थात्-

1. पट्टाग्रहीता, पट्टादाता को वार्षिक नगरीय भूमि कर का भुगतान पूर्व में उल्लेखित विधि के अनुसार करेगा।
2. पट्टाग्रहीता निर्धारित साइट प्लान (मानचित्र) से किसी भी रुप में विचलित नहीं होगा और भूखण्ड का उपविभाजन, एकीकरण या अन्यथा किसी प्रकार का परिवर्तन पट्टादाता को लिखित पूर्वानुमति के बिना नहीं करेगा।
3. पट्टाग्रहीता निर्धारित अवधि में मानचित्र स्वीकृत करा निर्माण स्वीकृति प्राप्त कर अपने व्यय से भूखण्ड पर निजी आवास हेतु भवन निर्माण करेगा तथा भवन निर्माण पूर्ण होने का प्रमाण पत्र पट्टादाता से प्राप्त करेगा।
4. पट्टाग्रहीता अपने आवासीय भूखण्ड या उसके किसी भाग को पट्टादाता की लिखित पूर्वानुमति के बिना न तो विक्रय करेगा, न हस्तान्तरित करेगा और ना ही अन्यथा किसी प्रकार से अधिकार छोड़ेगा। हस्तान्तरण की अनुमति पट्टादाता द्वारा दिये जाते समय ऐसे निबन्धन या शर्ते लगाई जा सकेगी जो उसकी राय में उचित हो।
5. पट्टाग्रहीता द्वारा अपना लीज अधिकार हस्तान्तरित किये जाने पर हस्तान्तरिति, उक्त पट्टे में सन्निहित समस्त प्रसंविदाओं व प्रतिबन्धों से बद्ध होगा।
6. जब पट्टाग्रहीता स्वत्व किसी तरह से अन्तरित हो तो इसकी सूचना पट्टादाता को लिखित में अन्तरण में तीन माह केभीतर दी जायेगी। पट्टाग्रहीता की मृत्यु की दशा में मृत्यु की सूचना तीन माह में उस व्यक्ति द्वारा दी जायेगी जिसे मृतक से स्वत्व प्राप्त हो या उत्तराधिकार प्राप्त हो। अन्तरण या मृत्यु की सूचना तीन माह में बिना समुचित करण के नहीं दी जाती है। तो पट्टाग्रहीता या अन्तरिति 100/- रु. अदा करने का भागी हो सकेगा। हस्तान्तरण या उत्तराधिकार के सम्बन्ध में साक्ष्यार्थ लेखा पत्रों की प्रमाणित प्रतियाँ भी पट्टादाता को दी जायेगी।
7. पट्टाग्रहीता सदैव समय पर ऐसे समय स्थानीय करों, अन्य करों, प्रभारों और प्रत्येक प्रकार के निर्धारित करों का भुगतान करेगा जो भूखण्ड या उस पर निर्मित भवन पर या उससे सम्बन्धित भूस्वामी या भाटकधारी पर निर्धारित, प्रस्तुत किये गये है, या लगाये गये है अथवा इस पट्टे के चालू रहते निर्धारित प्रस्तुत किये जावें या लगावें जावें।
8. पट्टे पर दिये गये भूखण्ड के सम्बन्ध में अदत्त (अनपेड) नगरीय भूमि कर तथा अन्य राशि के वसूली भू-राजस्व की अदत्त राशि की भांति की जा सकेगी।
9. पट्टाग्रहीता, पट्टादाता की लिखित पूर्व की स्वीकृति के बिना भूखण्ड पर कोई निर्माण, परिवर्तन या परिवर्द्धन नहीं करेगा। पट्टाग्रहीता, पट्टादाता की लिखित पूर्वानुमति के बिना पट्टान्तरित आवासीय भूखण्ड पर या उस निर्मित भवन में किसी प्रकार का ऐसा व्यापार या व्यवसाय नहीं करेगा या करने देगा और निजी आवास के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन के लिए उसका उपयोग नहीं करेगा या करने देगा जो पट्टादाता की राय में पट्टादाता के लिए या पड़ोस मे रहने वाले के लिए न्यूसेंस, विक्षोभ या त्रास का कारण हो। परन्तु यदि पट्टादाता आवासीय भूखण्ड या उस पर निर्मित भवन का उपयोग आवासीय से भिन्न करने का इच्छुक है तो पट्टादाता ऐसे निबन्ध एवं शर्तो के अधीन जिसमें अतिरिक्त अधिशुल्क और अतिरिक्त भाटक का भुगतान सम्मिलित है पट्टादाता अपने विवेक से निर्धारित कर उपयोग के ऐसे परिवर्तन की अनुमति दे सकेगा।

निदेशक
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परियोजना
एवं सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर

For Trehan Home Developers (P) Ltd.

Authorised Signatory

10. पट्टाग्रहीता इस पट्टे की समाप्ति पर उक्त आवासीय भूखण्ड तथा उस पर अवस्थित भवन शांतिपूर्वक पट्टादाता को समर्पित करेगा।

III यदि अधिशुल्क या निर्धारित वार्षिक नगरीय भूमिकर की कोई राशि या उसका अंश किसी समय अदत्त रह जाये ओर 30 दिवस में चुकाने के नोटिस पर भी नहीं चुकाई जावे अथवा यह पता चले कि कोई तथ्य छिपाकर या मिथ्याकथन कर या छल करके यह पट्टा प्राप्त किया है तो इस पट्टा विलेख में किसी बात के होते हुए भी पट्टादाता इस पट्टे को निरस्त करने, भूखण्ड पर या भवन में प्रवेश कर उसे अधिपत्य में लेने को अधिकृत होगा और उसके बाद पट्टाग्रहीता का कोई अधिकार भूखण्ड या भवन के सम्बन्ध में शेष नहीं रहेगा और पट्टादाता द्वारा किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति का या अधिशुल्क लौटाने को बाध्य नहीं होगा। परन्तु इसमें किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी पट्टादाता पुनः अधिग्रहण के अधिकार बाद भी स्वतः विवेक से शास्ति या ब्याज लगाकर राशि जमा करवाकर पट्टाग्रहीता के दोष को अपमार्जित कर सकेगा।

IV अपवर्तन (फोरफीचर) या पुनः प्रवेश तब तक प्रभावशील नहीं होगा जब तक पट्टादाता द्वारा पट्टाग्रहीता को पट्टे के भंग किये जाने तथा उस भंग के उपचार के सम्बन्ध में उल्लेख करते हुऐ समुचित नोटिस नहीं दिया गया हो। परन्तु इस भूखण्ड की कोई बात खण्ड में उल्लेखित उपविभाजन, एकीकरण व हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रतिबन्धों व प्रसंवादिओं पर तथा किसी तथ्य को छिपाकर, मिथ्या कथन कर या कपट या पट्टा प्राप्त किये जाने के मामले में लागू नहीं होगी।

V नगरीय भूमि कर के निर्धारण का अधिकार एतद् द्वारा आरक्षित रखा गया है। प्रत्येक 15 वर्ष बाद संशोधित किया जा सकेगा किन्तु वृद्धि 25% से अधिक नहीं होगी। प्रत्येक अन्तरण पर भी 25 प्रतिशत तक वृद्धि की जा सकेगी।

VI पट्टादाता इस पट्टे के अधीन प्रयुक्त होने वाली समस्त शक्तियों या उसमें से किसी शक्ति का प्रयोग करने के लिए न्यास अध्यक्ष अथवा न्याय के किसी अन्य अधिकारी को अधिकृत कर सकेगा।

VII इस पट्टे के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त सूचना पत्र, आदेश, निर्देश, सहमति, स्वीकृति या अनुमोदन लिखित में होंगे और ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होंगे, जो पट्टादाता द्वारा प्राधृकित हो एवं उन्हें भूखण्ड या उस पर बने भवन पर लगाकर, चिपका कर या पट्टाग्रहीता या उसके अधीन दावा करने वाले व्यक्ति को दिये जाकर या उसके सम्बन्ध में ज्ञात स्थान पर चस्पा कर तालीम कराया जा सकेगा और ऐसी तामील पर्याप्त होगी।

VIII इस विलेख में इससे पूर्व प्रयुक्त पदावली पट्टादाता और पट्टाग्रहीता में संदर्भान्तर्गत पट्टादाता की दशा में उसके उत्तराधिकारी और अभिहस्तांकिति (असाइनी) तथा पट्टाग्रहीता की दशा में उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रबन्धक या वैध प्रतिनिधि या अन्तरिति या अन्य व्यक्ति जो पट्टाग्रहीता की हैसियत से दावा करें, शामिल होंगे।

IX यह पट्टा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 व उसके अधीन बनायें गये निमयों में शामिल शर्तों व निबन्धनों के अधीन रहते हुए शासन अनुदान अधिनियम (गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट) 1895 के अन्तर्गत प्रदान किया जाता है।

जिसके साक्ष्य में पट्टादाता के लिए उसकी ओर से तथा उसके आदेश और निर्देश से सचिव नगर विकास न्यास, अलवर ने हस्ताक्षर किये हैं तथा पट्टाग्रहीता ने हस्ताक्षर किये हैं।

निदेशक
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परियोजना
एवं सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर

For Trehan Home Developers (P) Ltd.

Authorised Signatory

निर्दिष्ट अनुसूची

भूखण्ड संख्या....2 (EWS & LIG) h.H. ....क्षेत्रफल....5427.43.... खसरा नं.453 से 461,469,471 से 477,481 से 483,485 से 492,494 से 511,513 से 515,518 से 523,526 से 528 वाके ग्रा.न.समदी एवं ख. नं.455 से 458,478 से 479,497,485/785 वाके ग्रा.रायसीस तह.जि.अलवर ~~वर्ग गज~~/वर्ग मीटर..........

योजना, अलवर नगर में स्थित है। जिसकी सीमाएँ व भुजाएँ निम्न प्रकार है--

उत्तर - O.C.F.

पूर्व - सड़क 12.0 मी

दक्षिण - सड़क 30.0 मी.

पश्चिम - OTHER LAND

5427.43.......... ~~वर्ग गज~~ / वर्ग मीटर

कुल क्षेत्रफल

और जो न्यास की योजना के ले आउट के अनुसार है।

निदेशक
रा०रा० क्षेत्र परियोजना
एवं सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर

निदेशक
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परियोजना एवं
सचिव नगर विकास न्यास, अलवर

अति.प्रति

साक्षी–

नाम	पता	हस्ताक्षर
1. H. Saini S/o A.K. Saini Padav Ki Chakki		
2. Shankar Sain S/o Shi Satish sain Dehli darwaja Alwar		

बहादुरपुर (अलवर)

For Trehan Home Developers (P) Ltd.

Authorised Signatory

18.11.13
01 116
113
2330 0/
287 224 220

उप पंजीयक बहादुरपुर

For Trehan Home Developers (P) Ltd.

Authorised Signatory

प्रशासन शहर संग अभियान-2012

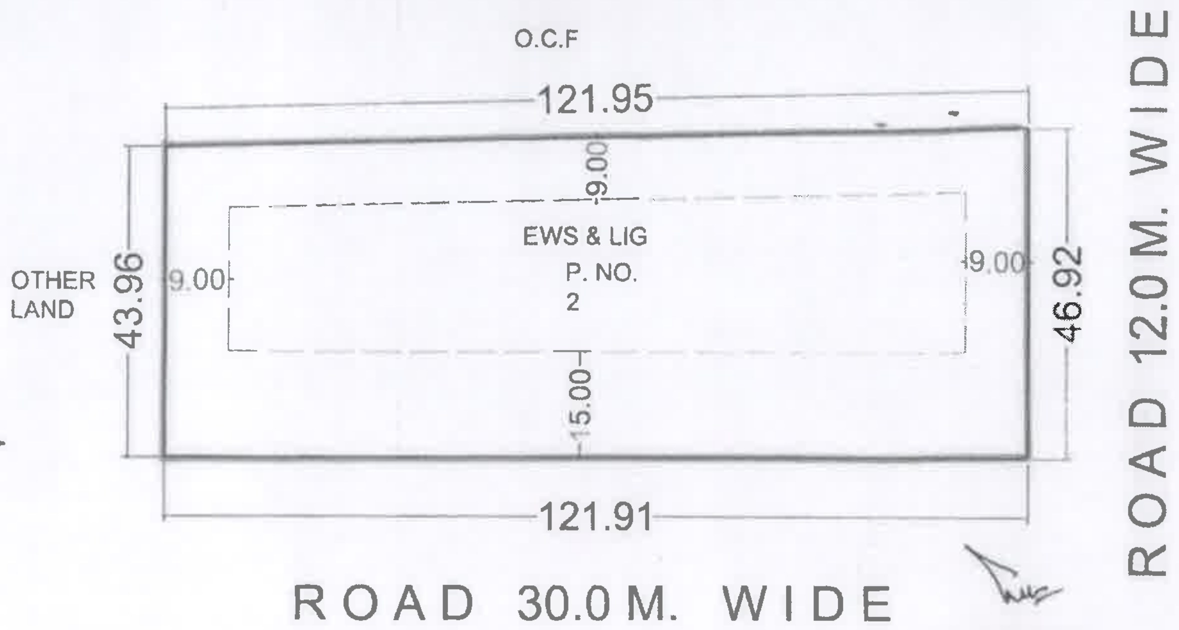

निदेशक
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परियोजना एवं
सचिव नगर विकास न्यास, अलवर

NOTE-
(1)= TOTAL LAND AREA = 5427.43 SQ.MT.
(2)= MAXM.PERMISSIBLE COVERAGE AREA = 35%
(3)= F.A.R...=1.33(MANAK)
(4)= MAXM. PERMISSIBLE HIGHT =ASPER VINIYAM 2013
(5)= VINIYAM 2013 SHOULD BE FOLLOWED BY THE APPLICANT

U.I.T. ALWAR	SITE PLAN OF **PLOT NO-2 (EWS & LIG)** IN KHASRA NO .453 TO 461,469,471TO 477,481 TO 483,485 T0 492, 494 TO 511,513 TO 515,518 TO 523,525 T0 528 (NEW) VILLAGE NANGLA SAMAWADI & KH.NO.485 T0 488, 478 TO 479,497, $\frac{485}{785}$ (NEW) VILLAGE RAISEES AT ALWAR

DRN BY	SCALE :- 1cm = 3.00	CHECKED BY- 24.9.13
T. P. A.	A. T. P.	EX.ENGINEER

N / S

URBAN IMPROVEMENT TRUST, ALWAR

For Trehan Home Developers (P) Ltd.
Authorised Signatory

आज दिनांक 18.11.13

पुस्तक सं० 01 जिल्द सं० 116

पृष्ठ सं० 113 से —— पर

क्रमांक 2330 पर पंजीकृत

किया [illegible] जिल्द सं० 01

जिल्द संख्या 287 [illegible] 224 से 220

तक पढ़ा गया [illegible]

उप पंजीयक, बहादुरपुर

For Trehan Home Developers (P) Ltd.

Authorised Signatory

PNo 02
5427.43 Sqmtr

... दिनांक 18.11.13 को समय 11 AM
... 11.10 AM ... के मध्य
उप पंजीयक कार्यालय बहादुरपुर निष्पादक
श्री हारीसिंह पुत्र खिशनलाल
जाति चमार निवासी कसरपुर
कार्य ... ने प्रस्तुत किया।
उप पंजीयक
बहादुरपुर (अलवर)

क्रमांक 161/9 दिनांक 18/11/13.
1. पंजीयन शुल्क 38100 =
2. प्रतिलिपि शुल्क 300 =
3. अन्य शुल्क 19050 =
4. 47 DR. CO. 190500 =
योग 247950 =
उप पंजीयक, बहादुरपुर

आनि.
हारीसिंह

हारीसिंह पुत्र किशनलाल-चमार
R/o कसरपुर
ने लेख पत्र पढ़ा विक्रय निष्पादन करना स्वीकार किया है। प्रतिफल राशि ... के रूप में प्राप्त कर लिया है।
सूरज प्रसाद
राजकुमार बैरवा पुत्र ... बैरवा
PS नदी सवाई पुर
निरंजन सैनी हर किशन सैनी
32 माली PS
सुल्तान नगर डाबला
उप पंजीयक, बहादुरपुर

For Trehan Home Developers (P) Ltd.
Authorised Signatory

आनि
हारीसिंह

छोगेश्ट

पद्दा विलेख

प्रतिफल रु० 3810000/- अड़तीस लाख दस हजार मात्र

190500/-

एक लाख नब्बे हजार पांच सौ मात्र 161/-

18/11/13

आज दिनांक 18.11.13

पुस्तक सं० ---- जिल्द सं० ----

पृष्ठ सं० 01 से 116

क्रमांक 113 पर पंजीकृत

2330 ---- 01

तक चस्पा किया 287 224 229

उप पंजीयक बहादुरपुर

For Trehan Home Developers (P) Ltd.

Authorised Signatory

न. वि. न्या.

कार्यालय नगर विकास न्यास, अलवर

कार्यालय आदेश

इन कार्यालय के आदेश क्रमांक 23114/2013 दिनांक 11-11-2013

के द्वारा भूखण्ड संख्या 2 (EWS & LIG) ग्राम हरिपुरा/हसन खाँ मेव नगर योजना 453 से 461, 469, 471 से 472, 481 से 483, 485 से 492, 494 से 511, 513 से 515, 518 से 523, 545, 525, 528 ग्राम 485 से 488, 478 से 479, 497, 485/765

श्री / श्रीमती हरि सिंह पुत्र/पत्नि श्री किशन लाल ग्राम रामनगर अलवर

को आवंटित / विक्रय / परिवर्तित किया गया था।

श्री हरि सिंह द्वारा यह भूखण्ड श्री / श्रीमति त्रेहान होम डवलपर्स प्रा० लि० जर्ये

पुत्र/पत्नि श्री डायरेक्टर श्री अशोक कुमार सैनी पुत्र श्री सोहन लाल सैनी को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांक 19/12/13

विक्रय कर दिया गया है तथा श्री .... द्वारा भूखण्ड को जर्ये

रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक .... द्वारा श्री / श्रीमती ....

पुत्र / पत्नि श्री .... को विक्रय कर दिया है।

क्रेता द्वारा सभी देय शुल्क न्यास में जमा करा दिया हैं व सभी शर्ते स्वीकार कर ली है।

अतः जब यह भूखण्ड न्यास रिकॉर्ड में श्री / श्रीमती त्रेहान होम डवलपर्स प्रा० लि० जर्ये

पुत्र / पत्नि श्री डायरेक्टर अशोक कुमार सैनी पुत्र श्री सोहन लाल सैनी के नाम एतद् परिवर्तित किया जाता है। प्रथम आवंटी पर लागू सभी शर्ते समय–समय पर होने वाले संशोधनों के सहित श्री त्रेहान होम डवलपर्स प्रा० लि० जर्ये डायरेक्टर श्री अशोक कुमार सैनी पर भी लागू होगी। उक्त भूखण्ड पर वाद की स्थिति होने पर यह पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा।

निदेशक

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं सचिव

नगर विकास न्यास, अलवर।

क्रमांक :– यू. आई. टी./एफ. आवंटन/2694/2013 दिनांक 31-12-2013

प्रतिलिपि :–

1. श्री/श्रीमती त्रेहान होम डवलपर्स प्रा० लि० जर्ये पुत्र/पत्नि श्री डायरेक्टर श्री अशोक कुमार सैनी पुत्र श्री सोहन लाल सैनी मीना धर्मशाला के पीछे नयाबास अलवर सूचनार्थ प्रेषित हैं।
2. ीज लिपिक न्यास/कार्यालय आदेश पत्रावली न्यास, अलवर।

निदेशक

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं सचिव

नगर विकास न्यास, अलवर।

For Trehan Home Developers (P) Ltd.

Authorised Signatory

आवंटी प्रति

UIT Form No. 8

Urban Improvement Trust, Alwar

Book No.	DATE DD	MM	YY	UNIT CODE	Tick Code	3 Digit	S. No.
1930	26	12	17	CASH	✓	001	16
				BANK			

CHEQUE / DD No.	SUBSIDIARY CODE	UNIT CODE
If Payment by Cash Write "CASH"	For ALLOTEE / LEASEE EMPLOYEE	U.I.T.

RECEIVED FROM

MR/ MS Trehan Home Developers (P) Ltd Through Ashok Kumar Saini, Sinder

AGAINST

Plot No. 02 Group Housing — Sector No. Kh. No. 453 to 461, 469, 471 to 477, 481 to 483, 485 to 492, 494 to 511, 513 to 516, 518 to 523, 525 to 528

On account of

Particulars	A/c Code	Amount
Name Tr. fees		64912-00
Penalty		1000-00
	TOTAL	65912-00

CHECK DIGIT

Write only Digit of Rs.

Rs. (in words) Sixty five thousand nine hundred twelve

Secretary Only

Cashier

For Trehan Home Developers (P) Ltd.

Authorised Signatory

(3) बयनामा

नम्बर रजि. संख्या 73 कुल अनुबन्ध मूल्य 7500000

(यह प्रति लेख्य-पत्र पेश करने वाले आवेदन पत्र पेश करने वाले अपने पास रहने देंगे) 1000

(प्राप्त हुई फीस के लिए रसीद)

1 पेश करने वाले या आवेदन-पत्र देने वाले का नाम हरिसिंह पुत्र किशनलाल

2. लेख्य-पत्र की किस्म

3. विवरण फीस जो प्राप्त हुई ग्राम केसरपुर

4. प्रतिफल की रकम रुपये पैसे

क. फीस रजिस्ट्री :

(1) साधारण फीस रजिस्ट्री 50000=

(2) लेख्य-पत्र की पुस्तक में प्रतिलिपि करने की फीस 800=

(3) धारा 64 से 67 के अनुसार ज्ञापन जारी करने की फीस 58 160360=

ख. धारा 57 के अनुसार प्राथियों के प्रविष्ट लेखों की प्रतिलिपि देने की फीस 1602600=

ग. विविध फीस :

(1) साधारण अथवा विशेष अधिकार-पत्र प्रमाणीकरण फीस

(2) धारा 62 के अनुसार अनुवाद प्रस्तुत करने की फीस

(3) धारा 25 से 34 के अनुसार देर से लेख्य- पत्र प्रस्तुत होने अथवा सम्पादनकर्ता इत्यादि के उपस्थित होने के कारण चुकाई हुई फीस

(4) कमीशन तथा घर पर जाने की फीस तथा भत्ता 1813260=

(5) रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्री करने पर अतिरिक्त फीस

(6) संरक्षण फीस

(7) मोहरबन्द लिफाफे (जिसमें वसीयत पत्र रखा हो) अमानत रखने, वापिस लेने अथवा खोलने की फीस

(8) पुस्तक के निरीक्षण अथवा तलाशी की फीस

(9) अन्य विविध प्रकार की आय (जिसमें सब पदार्थों की बिक्री इत्यादि की आय सम्मिलित है)

योग फीस 1813260=

फीस के वापिस होने की तारीख 19/12/13

लेख्य-पत्र या प्रतिलिपि तलाश सर्टिफिकेट पाने के हस्ताक्षर और लौटाये जाने या पाने की तारीख 19/12/13

उप निबन्धक बहादुरपुर (अलवर)

रजिस्ट्री करने वाले अफसर के हस्ताक्षर

For Trehan Home Developers (P) Ltd.

Authorised Signatory

"ॐ"

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

C 982603

विक्रय पत्र मुबलिग 75,00,000/— स्टाम्प फीस मु. 1,000/—

विक्रेताः—हरिसिंह पुत्र श्री किशन लाल आयु लगभग 57 साल जाति चमार निवासी ग्राम केसरपुर तहसील अलवर जिला अलवर पक्षकार संख्या एक विक्रेता

क्रेताः—त्रेहान होम डवलपर्स प्रा. लि. अलवर जरिये डायरेक्टर अशोक कुमार सैनी पुत्र श्री सोहन लाल सैनी आयु लगभग 48 साल जाति सैनी निवासी मीना धर्मशाला के पीछे नयाबास शहर अलवर (राजस्थान) पक्षकार संख्या दो क्रेता

मैं हरिसिंह पुत्र श्री किशन लाल आयु लगभग 57 साल जाति चमार निवासी ग्राम केसरपुर तहसील अलवर जिला अलवर का हूँ।

जो कि मेरी मिलकियत मकबूजा की आवासीय पड़त जमीन प्लाट नम्बर 2 (ई डब्लू एस एण्ड़ एल आई जी) रकबा 5427.43 वर्गमीटर जो वाके खसरा नम्बर 453 से 461, 469, 471 से 477, 481 से 483, 485 से 492, 494 से 511, 513 से 515, 518 से 523 525 से 528 ग्राम नंगला समावदी सब तहसील बहादरपुर तहसील अलवर एवं खसरा नम्बर 485 से 488, 478 से 479, 497, 485/785 ग्राम रायसीस सब तहसील बहादरपुर तहसील अलवर में है जिसकी पैमाईश सिरे पूर्व 46.92 मीटर,सिरे पश्चिम 43.96 मीटर,सिरे

For Trehan Home Developers (P) Ltd.

Authorised Signatory

FOR TREHAN HOME DEVELOPERS PVT. LTD.

DIRECTOR

हरिसिंह

जगदीश अरोड़ा स्टाम्प विक्रेता तह.प.अलवर ला न 486/12
रजि. नं 5250 दिनांक 27/11/2013 अंकित 1000/-
नाम ट्रेहान होम डवलपर प्रा.लि. द्वारा ... अशोक कुमार सैनी S/o लालचन्द सैनी निवासी अलवर
जाति ... तिजारा रोड
तह अलवर जिला अलवर
वास्ते बयनामा अर्थ निरंजन सैनी
ह. क्रेता ... ह. विक्रेता जगदीश अरोड़ा

आज दिनांक 19/12/13 को समय 1-50 PM
से 2 PM के मध्य
उप पंजीयक कार्यालय बहादुरपुर निष्पादक
श्री हरिसिंह पुत्र किशनलाल
जाति स्वकार उम्र 52
कार्य खेती निवासी केसरपुर
ने यह पंजीयन दस्तावेज पेश किया।

उप पंजीयक
बहादुरपुर (अलवर)

क्रमांक 163/73 दिनांक 19/12/13
1. पंजीयन शुल्क 50000=00
2. प्रतिलिपि शुल्क 300=00
3. अन्य शुल्क 160360=00
4. 47 DR. CO. 1602600=
योग 1813260=00

उप पंजीयक, बहादुरपुर

हरिसिंह पुत्र किशनलाल स्वकार
R/O केसरपुर
ने लेख पत्र बयनामा का निष्पादन करना स्वीकार
किया है। प्रतिफल राशि 750000/- को लेख
के समक्ष प्राप्त कर लिया है।
उपरोक्त निष्पादक की पहचान श्री निरंजन सैनी
पुत्र हरिकिशन उम्र 32 जाति माली
पेशा PS निवासी सुल्तान नगर अलवर
व श्री पंकज कुमार पुत्र रामलाल
उम्र 28 जाति सिन्धी पेशा PS
निवासी ... तिजारा ने की है।

उप पंजीयक बहादुरपुर

For Trehan Home Developers (P) Ltd.
Authorised Signatory

उत्तर 121.95 मीटर, सिरे दक्षिण 121.91 मीटर कुल रकबा 5427.43 वर्गमीटर जिसकी चार सीमाऐं इस प्रकार से हैं तरफ पूर्व को सड़क 12.0 मीटर चौड़ी, तरफ पश्चिम को अन्य जमीन, तरफ उत्तर को ओ॰सी॰एफ॰, तरफ दक्षिण को सड़क 30.0 मीटर चौड़ी। जो जमीन मैंने कृर्षि भूमि खरीद की जिस जमीन को आबादी भूमि में परिवर्तित कराने के वास्ते प्रार्थना पत्र कार्यालय नगर विकास न्यास अलवर में लगाया और भूमि रूपान्तरण शुल्क जमा कराया जिस प्रार्थना पत्र से उपरोक्त जमीन को आबादी भूमि में रूपान्तरित कर कार्यालय नगर विकास न्यास अलवर से रकबा 5427.43 वर्गमीटर आवासीय प्रयोजनार्थ का पट्टा विलेख मेरे नाम मिला। जिस उक्त जमीन की एक मुश्त लीज राशि मैंने जमा कराकर कार्यालय नगर विकास न्यास अलवर से लीज मुक्ति प्रमाण पत्र क्रमाँक २३॥५/2013 दिनाँक 11.11.2013 के प्राप्त कर लिया है जिसके बाद क़ार्यालय नगर विकास न्यास अलवर से अपने हक में लीजडीड़ (पट्टा) तैयार कराकर रजिस्टर्ड़ दिनाँक 18.11.2013 पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 116 पृष्ठ संख्या 113 क्रम संख्या 2330 के कार्यालय उप पंजियक महोदय बहादुरपुर अलवर के द्वारा करा लिया है। जिस उपरोक्त आवासीय पड़त जमीन प्लाट नम्बर 2 (ई डब्लू एस एण्ड़ एल आई जी) रकबा 5427.43 वर्गमीटर का मैं स्वयं् एक मात्र तन्हा मालिक काबिज दखली हूँ जिसमें मेरे अलावा अन्य किसी का हक हिस्सा साझा बॉटा नहीं है जो उपरोक्त पड़त जमीन प्लाट इस वक्त हर भार बाजारी एवं सरकारी से पाक साफ है उपरोक्त वर्णित पड़त जमीन प्लाट को इस वक्त मैंने किसी को भी रहन बय हिबा वगैरा नहीं कर रखा है और ना ही किसी भी बैंक

For Trehan Home Developers (P) Ltd.

Authorised Signatory

हरिसिंह द्वारा पेश बैयनामा ... 7500000/- मूल्य का है। ... मालियत जिला कमेटी की दर एवं ... आधार पर रु० 3,20,71617/- (तीन करोड़ बीस लाख इकहत्तर हजार छः सौ सत्रह) ... नहीं है। ... 1603600/- (सोलह लाख तीन हजार छः सौ) 163173 ... 19/12/13 ... धारा 47 ए के अन्तर्गत कार्यालय में जमा करायी गई है।

अतः इस बैयनामा दस्तावेज की कमी मुद्रांक कर राशि जमा होने पर मालियत सही है। अतः ... पंजीकृत किया गया।

उप पंजीयक
बहादुरपुर (अलवर)

मुद्रांक कर जमा
P.O. No. 000962
19/12/13
Amt. 1600000/=
HDFC बैंक से जमा

उप पंजीयक
बहादुरपुर (अलवर)

आज दिनांक 19/12/13
पुस्तक सं० 01 जिल्द सं० 117
पृष्ठ सं० 94 से ---- के
क्रमांक 2511 से ---- पर पंजीबद्ध
किया गया। तथा अतिरिक्त पुस्तक सं० 01
जिल्द संख्या 289 पृष्ठ सं० 115 से 120
तक चस्पा किया गया।

उप पंजीयक, बहादुरपुर

For Trehan Home Developers (P) Ltd.

Authorised Signatory

(3)

संस्था आदि से कर्जा लेकर वो किसी की भी जमानत आदि देकर बन्धक कर रखा है और ना ही किसी भी प्रकार का कोई विवाद है याने हर प्रकार के भार से मुक्त है इस वक्त मुझे रूपयों की जायज जरूरत है इससे मैंने उपरोक्त वर्णित आवासीय पड़त जमीन प्लाट नम्बर 2 (ई डब्लू एस एण्ड़ एल आई जी) रकबा 5427.43 वर्गमीटर को मय नींव सींव आगा पीछा ऊपर नीचा हकूक आशायशी रिहायशी दखली मालकाना काबिजाना ईस्तेमाली शामलाती के सहित जो हक हकूक मुझे आज दिन प्राप्त हैं या आईन्दा कभी भी प्राप्त हो के सहित बेचान मुबलिग 75,00,000/—पिच्चेतर लाख रूपयों में त्रेहान होम डवलपर्स प्रा॰ लि॰ अलवर जरिये डायरेक्टर अशोक कुमार सैनी पुत्र श्री सोहन लाल सैनी आयु लगभग 48 साल जाति सैनी निवासी मीना धर्मशाला के पीछे नयाबास शहर अलवर (राजस्थान) को बय माले कलाम कतई करके जरे बय तमाम रकम 75,00,000/—पिच्चेतर लाख रूपये में से 25,00,000/—पच्चीस लाख रूपये जरिये चैक नम्बर 519089 ओरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स फरीदाबाद के व 25,00,000/—पच्चीस लाख रूपये जरिये चैक नम्बर 519090 ओरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स फरीदाबाद के तथा 25,00,000/—पच्चीस लाख रूपये जरिये चैक नम्बर 519091 ओरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स फरीदाबाद के क्रेता से प्राप्त कर लिये हैं,अब जरे बय में से कुछ भी लेना बाकी नहीं है। खर्चा बयनामा तमाम क्रेता ने दिया है कब्जा उपरोक्त वर्णित पड़त जमीन खाली प्लाट पर क्रेता का मौके पर वास्तविक रूप से करवा दिया है। अब क्रेता उपरोक्त वर्णित पड़त जमीन प्लाट का मालिक काबिज दखली रहेगा जिसे समस्त अधिकार प्राप्त होंगे। उपरोक्त आवासीय

हरिसिंह

For Trehan Home Developers Pvt. Ltd.

Director

For Trehan Home Developers (P) Ltd.

Authorised Signatory

(4)

पड़त जमीन प्लाट तमाम या उसका कोई भी अंश कब्जे क्रेता से किसी के भी उज्र ऐतराज करने पर अथवा मुझें बय करने का हक ना होने पर निकल जावेगा तो अपना दिया धन मय हर्जा खर्चा लागत के सहित मेरी जात खास से वो मेरी दीगर चल अचल सम्पत्ति से वो मेरे वारिसान से वसूल करने का हक क्रेता और क्रेता के वारिसान को होगा। उपरोक्त विक्रय हो रही आवासीय पड़त जमीन प्लाट को क्रेता मेरी गैर हाजरी में भी इस बयनामें द्वारा अपने नाम पर कार्यालय नगर विकास न्यास अलवर, नगर परिषद अलवर व सभी सम्बन्धित विभागो में ट्रॉंसफर अपने खर्चे से करवा सकेगा जिसमें मेरी पूर्ण सहमति हर समय पर मान्य रहेगी। उपरोक्त विक्रय हो रही पड़त जमीन प्लाट नम्बर 2 (ई डब्लू एस एण्ड़ एल आई जी) से आज के बाद मेरा और मेरे वारिसान का कोई ताल्लुक सरोकार वास्ता किसी भी किस्म का बाकी नहीं रहा है अगर रखेंगे तो वह गलत और बेअसर होगा। उपरोक्त विक्रय हो रहे पड़त जमीन प्लाट की आज तक की कोई रकम सरकारी, गैर सरकारी, बाजारी, बैंक किसी भी वित्तीय संस्थान का ऋण आदि की व लीज, पैनेल्टी की बकाया नहीं है बाकी निकलेगी तो मैं विक्रेता दूँगा तथा आज के बाद से जो भी खर्चा होगा वह तमाम क्रेता देगा। उपरोक्त विक्रय हो रहे पड़त जमीन प्लाट से सम्बन्धित जो भी पुराने कागजात पत्रादि असल मेरे पास मौजूद हैं वह तमाम पुराने कागजात पत्रादि असल हवाले क्रेता के कर दिये हैं। उपरोक्त विक्रय हो रहा प्लाट पुख्ता सड़क सरकारी से करीबन 1 किलो मीटर दूर है, ग्राम की आबादी से करीबन 1 किलो मीटर दूर है,जो पड़त जमीन है जिसमें कोई निर्माण नहीं हो रहा है।

अतः बदुरूस्ती होश हवाश में यह दस्तावेज बयनामा स्टाम्प किता 1 व सादा फार्म

For Trehan Home Developers (P) Ltd.

Authorised Signatory

Trehan Home Developers Pvt. Ltd.

Director

(5)

4 कुल कीमती 1,000/—एक हजार रूपये जिसमें 1,000/—एक हजार रूपये का एक किता स्टाम्प जिसका सीरियल नम्बर सी 982603 रजिस्टर नम्बरी 5250 पर सनद लिख दिया ताकि सनद रहे समय पर काम आवे दिनाँक 28.11.2013

हस्ता॰ पक्षकार संख्या एक विक्रेता

हस्ता॰ पक्षकार संख्या दो क्रेता

For Trehan Home Developers Pvt. Ltd.

Director

For Trehan Home Developers (P) Ltd.

Authorised Signatory

SITE PLAN OF **PLOT NO-2 (EWS & LIG)** IN KHASRA NO .453 TO 461,469,471TO 477,481 TO 483,485 TO 492, 494 TO 511,513 TO 515,518 TO 523,525 TO 528 (NEW) VILLAGE NANGLA SAMAWADI & KH.NO.485 TO 488, 478 TO 479,497, $\frac{485}{785}$ (NEW) VILLAGE RAISEES AT ALWAR

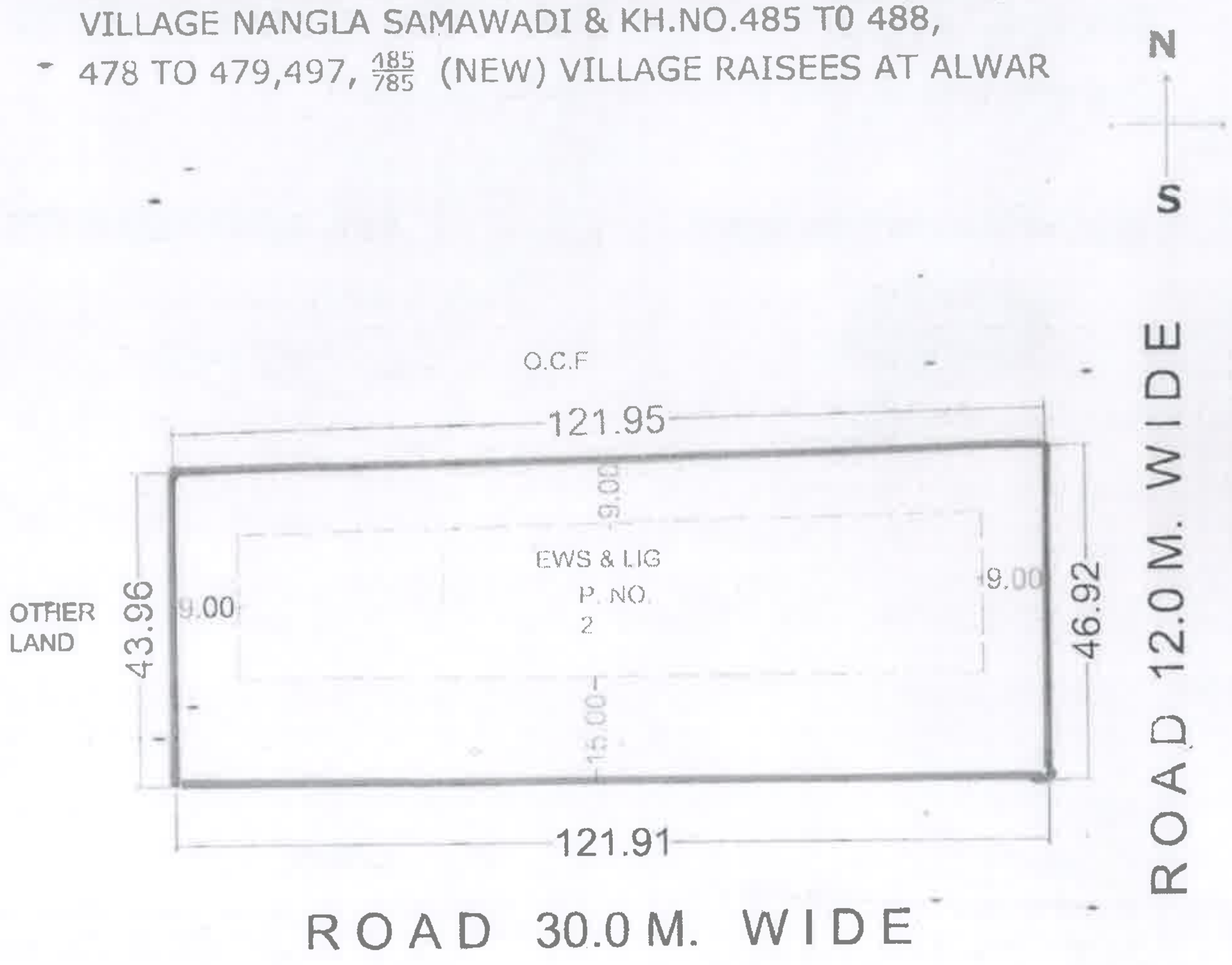

(1)= TOTAL LAND AREA = 5427.43 SQ.MT.

For Trehan Home Developers Pvt. Ltd.

Director APPLICANT

For Trehan Home Developers (P) Ltd.

Authorised Signatory

आज दिनांक------19/12/13----
पुस्तक सं0---01---जिल्द सं0-112-
पृष्ठ सं0----94---से-------------के
क्रमांक--2511--से---------पर पंजीबद्ध
किया गया। तथा अतिरिक्त पु0 सं0-01
जिल्द संख्या 289 के पृष्ठ सं0 115-से-120
तक चस्पा किया गया।

उप पंजीयक, बहादुरपुर

For Trehan Home Developers (P) Ltd.

Authorised Signatory

आवन्टी प्रति

UIT Form No. 8

Urban Improvement Trust, Alwar

Book No.	DATE DD	MM	YY	UNIT CODE		Tick Code 3 Digit	S. No.
1880	8	10	13	CASH		001	39
				BANK	✓		

CHEQUE / DD No.	SUBSIDIARY CODE	UNIT CODE
If Payment by Cash Write "CASH"	For ALLOTEE / LEASEE EMPLOYEE	U.I.T.

RECEIVED FROM

MR/ MS Hari Singh

AGAINST

Plot No. 2 (Anoop Money) Sector No. Kh No 453 to 4__, 471 to 477, 481 to 488, 497 etc. Mangle Sawadi

On account of

Particulars	A/c Code	Amount
1. Reg. Fees	311578	
2.	—	
	415437	
Plan	1000	
5.	1000	
6. Other Charges	110370	
	TOTAL	839385=00

CHECK DIGIT 6

Write only Digit of Rs.

Rs. (In words) Eight lac thirty nine thousand three hundred Eighty five only.

Secretary Cashier

For Trehan Home Developers (P) Ltd.

A Chang

Authorised Signatory

आवन्ती प्रति

UIT Form No. 8

Urban Improvement Trust, Alwar

Book No.	DATE DD	MM	YY	UNIT CODE	Tick Code	3 Digit	S. No.
188	8	10	13	CASH		001	04
				BANK	✓		

CHEQUE / DD No.	SUBSIDIARY CODE	UNIT CODE
If Payment by Cash Write "CASH"	For ALLOTEE / LEASEE EMPLOYEE	U.I.T.

RECEIVED FROM

MR/ MS Hari Singh

AGAINST

Plot No. 2 (Group Housing) Sector No. Khasra 453 to 471, 471 to 477, 481 to 488, 497 etc Naugha Jamawadi

On account of

Particulars	A/c Code	Amount
BSUP		135686=00
Shelter		
Fund		
	TOTAL	135686=00

CHECK DIGIT 6

Write only Digit of Rs.

Rs. (in words) One Lac Thirty five thousand Six hundred Eighty Six only

Secretary

Cashier

For Trehan Home Developers (P) Ltd.

Authorised Signatory